न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : उत्तम सिंह शेखावत (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2024/23 **दायर दिनांक 12.02.2024**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) **–सायल–**

बनाम

मुकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट उम्र 42 साल निवासी दूधवाखारा पुलिस थाना दूधवाखारा जिला चूरू। **–गैरसायल–**

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :–

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरु (राज.)

निर्णय **दिनांक : 13.05.2024**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल मुकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट उम्र 42 साल निवासी दूधवाखारा पुलिस थाना दूधवाखारा जिला चूरू का रहने वाला है, जो जुआ खेलने, खिलवाने व शराब बेचने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :–

क.स.	मुकदमा नम्बर मय दिनांक	धारा व पुलिस थाना	चालान दिनांक	नतीजा अदालत
1.	178/30.11.2013	19/54 राज0आब0 एक्ट पुलिस थाना साण्डवा	22.03.2014	पैण्डिंग कोर्ट
2.	01/03.01.2019	04/06 आरएससी एक्ट पुलिस थाना दूधवाखारा	12.02.2019	सजा
3.	81/02.08.2019	13 आरपीजीओ पुलिस थाना दूधवाखारा	24.09.2019	सजा
4.	34/11.04.2019	13 आरपीजीओ पुलिस थाना दूधवाखारा	28.05.2019	सजा
5.	100/20.10.2023	19/54 राज0आब0 एक्ट पुलिस थाना दूधवाखारा	14.12.2023	पैण्डिंग कोर्ट

अतः इस्तगासा विरुद्ध मुकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट उम्र 42 साल निवासी दूधवाखारा पुलिस थाना दूधवाखारा जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल स्वंय हाजीर होकर जुर्म के संबंध में माफी दर्ज कर माफ करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.05.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म स्वीकार करना चाहता है तथा भविष्य में किसी प्रकार का जुर्म/कृत्य नहीं करेगा तथा प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित करने की कृपा करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

2024/23

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरू बनाम मुकेश कुमार

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 02 बार, 13 RPGO, 02 बार 19/54 राज0आब0 एक्ट तथा 01 बार 04/06 आरएससी एक्ट के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 02 मुकदमें 13 RPGO में दिनांक 24.09.2019, 28.05.2019, 02 मुकदमें 19/54 राज0आब0 एक्ट में दिनांक 22.03.2014, 14.12.2023 तथा 01 मुकदमा 04/06 आरएससी एक्ट में दिनांक 12.02.2019 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल मुकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट उम्र 42 साल निवासी दूधवाखारा पुलिस थाना दूधवाखारा जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल मुकेश कुमार को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना दूधवाखारा गैरसायल मुकेश कुमार को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चूरू को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चूरू की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चूरू में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना दूधवाखारा तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट चूरू (राज०)

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू